संख्या-173/2015/1704/71-1-2015-जी-129/2015

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 04 नवम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर में वी0डी0आर0एल0 स्थापित किए जाने हेतु आवश्यक उपकरण क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1878, दिनॉक 17-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर के लिए वी0डी0आर0एल0 स्थापित किए जाने हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों को क्रय किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर में निम्न विवरणानुसार कॉलम-5 में उल्लिखित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	मद	वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेडिकल कालेज, आगरा	मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,00,00,000	92,41,677.60
2	मेडिकल कालेज, मेरठ	मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,00,00,000	84,44,300.10
3	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,00,00,000	92,41,677.50
		महायोग-	9,00,00,000	2,69,27,655.20

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्न सूची में वर्णित उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

3- स्वीक़त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त होगा।

7- उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जाएगा तथा उपकरणों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्म्रदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्न-उपकरण क्रय की सूची।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:-173/2015/1704(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।